B. Ed 2nd year

पर्यावरण शिक्षा

5 may 20..

Tuesday

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम

वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए 'वर्ष 1972' में 'भारतीय वन प्राणी (सुरक्षा)' अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार पारित किया गया। इसके अन्तर्गत कुछ वन्य प्राणियों, पक्षी, सरीसृप जीवों इत्यादि को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई।

'2 अक्टूबर 1991' को किए गए संशोधन के अनुसार वन्य प्राणियों को अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत वन्य कानून का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया।

इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार उन सभी वन्य प्राणियों का शिकार वर्जित है, जिनका अधिनियम की सूची 1, 2, 3 और 4 में उल्लेख किया गया है। प्राणी उद्यानों की देखभाल हेतु एक "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण" की स्थापना की गई जो पशुओं की सुरक्षा, रखरखाव पशु चिकित्सा मानकों को तय करता है। 'प्रोजेक्ट टाइगर पशु संरक्षण' प्रयासों की भारत में प्रारम्भ हुई प्रथम परियोजना है, जिसे भारत सरकार ने 'वर्ष 1973 में वर्ल्ड वाइल्ड फण्ड फोर नेचर तथा इन्टरनेशनल' 'यूनियन फॉर कन्जरवेशन ऑफ नेचर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज (IUCN)' के सहयोग से शुरु की थी।

वन संरक्षण कानून 1980

वर्ष 1952 में बनी नेशनल फारेस्ट पॉलिसी के अनुसार, भारत में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्र एक तिहाई अर्थात 33% भाग में वन होने चाहिए, परन्तु विभिन्न कारणों से वनों के क्षेत्रफल में कमी होती रही।

वर्ष 1988 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया जिसके अनुसार—

1 ⇒ कोई भी राज्य सरकार / प्राधिकार अधिकारी वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना लीज पर नहीं देगी।

2 ⇒ केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई भी प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को नहीं काट सकेगा।

3 ⇒ अधिनियम के खण्ड - 2 में कानून तोड़ने वालों के लिए सजा का प्रावधान।

4 ⇒ चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना।

केन्द्रीय सरकार की सलाह से 14 राज्यों व 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउन्सिल का गठन किया गया है, जिसमें विधायी सदस्यों के अतिरिक्त शिक्षाविद, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् तथा विकास कार्यो

Scanned with CamScanner

से जुड़े प्रशासनिक व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है।"

पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका

Scanned with CamScanner